हिन्दुस्तान
www.livehindustan.com

अपना राजकाज

जमशेदपुर
शनिवार
17 अक्तूबर 2026

11-13वीं जेपीएससी के सफल अभ्यर्थी भी रडार पर, होगी पूछताछ

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। जेपीएससी व जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितता के मामले में सीआईडी की अलग-अलग एसआईटी को लगातार सफल अभ्यर्थियों के संबंध में साक्ष्य मिल रहे हैं। 11-13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने वाली एजेंसी आईटीआई लिमिटेड के प्रतिनिधि कृष्णा कुमार से पूछताछ में कई सफल अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने अनियमितता के जरिए सरकारी नौकरी हासिल की। 11-13वीं जेपीएससी परीक्षा में ही इंटरव्यू मैनेज करने के बाद भी सदस्यों के द्वारा उगाही की बात सामने आयी थी। इसके बाद तत्कालीन सदस्य अजीता



- आईटीआई लिमिटेड के निदेशक से पूछताछ में सामने आए कई नाम
- अभय तिवारी की स्वीकारोक्ति में नवनियुक्त अफसरों के नाम आए थे

भट्टाचार्य के पीए ब्रजलाल को गिरफ्तार किया गया था। सीआईडी अब जांच में आए नए तथ्यों के आधार पर तकरीबन एक दर्जन से अधिक सफल अभ्यर्थियों को चिन्हित कर चुकी है। जल्द ही इन सभी को भी समन कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कृष्णा से पूछताछ में आए तथ्यों का मिलान पूर्व में जांच में आए तथ्यों से किया जा रहा है।

सीजीएल के सफल अभ्यर्थी सामान्य सवालों का भी नहीं दे पाए जवाब: जेएसएससी सीजीएल केस में सीआईडी ने अब तक कुल 38 गिरफ्तारियां की हैं। वहीं, लगातार सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। सीआईडी ने अब तक की जांच में तकरीबन 550 सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान सीआईडी ने अफसरों की तैयारी व विषय के ज्ञान की भी पड़ताल की। पूछताछ के दौरान इन अधिकारियों ने सीआईडी के सामने खुद को निर्दोष बताया। किसी भी तरह के पैसे के लेनदेन से साफ इंकार किया। जबकि सीआईडी के पास इस लेनदेन के पुख्ता सबूत थे। ऐसे में सीआईडी ने एक तरीका अपनाया। सभी को कुछ सवाल दिए गए और उनके जवाब मांगे गए। कई सफल अभ्यर्थी सामान्य ज्ञान के सामान्य सवालों का जवाब भी नहीं बता पाए। सीआईडी के वरीय अधिकारी उस वक्त ये देखकर चौंक गए कि इनमें से 70 प्रतिशत से अधिक वो अधिकारी, जिन्हें जांच के बाद पुख्ता सबूत के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, उन्हें ऐसे सामान्य सवालों का जवाब नहीं पता था।

सिपाही बहाली मामले में जेएसएससी से जवाब तलब

रांची। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सिपाही बहाली परीक्षा 2015 में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति न मिलने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेएसएससी से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की है। प्रार्थी अविनाश कुमार व अन्य की ओर से कहा गया कि उन्होंने शारीरिक, मेडिकल और लिखित परीक्षा पास कर ली थी। परीक्षा के 7,272 पदों में से 1,518 पद अभी भी खाली हैं। प्रार्थियों ने 21 अगस्त 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें 862 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। प्रार्थियों ने मांग की है कि बची हुई रिक्तियों पर उनका समायोजन किया जाए।

सियासत 30S



नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में शुक्रवार को एआईपीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु गौड़ यास्खी को पदभार ग्रहण करने के बाद बधाई देते आदित्य विक्रम जयसवाल व अन्य।

मधु गौड़ को आदित्य विक्रम ने दी बधाई

रांची। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस (एआईपीसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु गौड़ यास्खी ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव एवं एआईपीसी के प्रदेश प्रभारी आदित्य विक्रम जायसवाल अपनी टीम के साथ समारोह में शामिल हुए और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। इस मौके पर आदित्य विक्रम ने युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।

हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव का विरोध किया

रांची। आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पर अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ (एआईआरआरबीईए) ने विरोध जताया है। फैसले पर विचार की मांग की है। झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव नितेश कुमार मिश्रा ने बैंक कर्मियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।

आज से तीन दिन बंद रहेंगी कूरियर सेवाएं

रांची। दुर्गा पूजा के अवसर पर झारखंड में 17 अक्तूबर की दूसरी पाली से कूरियर सेवाएं बंद हो जाएंगी। झारखंड कोरियर एसोसिएशन ने बैठक कर यह निर्णय लिया। एसोसिएशन के सचिव प्रदीप राजगढ़िया ने बताया कि इस दौरान 18, 19 और 20 अक्तूबर को कूरियर कंपनियों में अवकाश रहेगा। इस कारण लगातार चार दिनों तक सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

मनरेगा गबन केस में आरोपी की याचिका खारिज

रांची। हाईकोर्ट ने मनरेगा योजना के तहत 3.11 लाख से अधिक की राशि के गबन मामले में आरोपी तत्कालीन ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर सुष्मिता प्रिया को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा है। मामला मांडर थाना क्षेत्र का है, जहां जलेश्वर लोहरा के नाम पर ट्यूबवेल बनाए बिना ही राशि गबन करने का आरोप है।

जनसेवा का संकल्प: मातृशोक की घड़ी में भी सीएम ने सुनीं लोगों की समस्याएं, त्वरित निदान के दिए निर्देश

झारखंड की जनता ही मेरा सबसे बड़ा परिवार

बोले हेमंत

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मातृशोक में भी पूरी संवेदनशीलता के साथ जनहित से जुड़े अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। उनके गांव नेमरा में शुक्रवार को भी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सीएम ने एक-एक कर सभी लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानीं। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य की जनता ही उनका सबसे बड़ा परिवार है।

सीएम ने दुःख की इस घड़ी में भी यह अहसास कराया कि वे हर परिस्थिति में राज्य की जनता के साथ खड़े हैं। शिकायतों और समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए सभी मामलों का त्वरित निदान किया जाए। किसी भी फरियादी को निराश न लौटना पड़े, यह सुनिश्चित हो। उनकी मां रूपी सोरेन



अपने पैतृक गांव नेमरा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करते ग्रामीण। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनाते मुख्यमंत्री। ● हिन्दुस्तान

जशपुर राजपरिवार ने सीएम से जताईं संवेदनाएं

छत्तीसगढ़ स्थित जशपुर राजपरिवार के सदस्यों ने भी सीएम से मुलाकात की। महाराजा-सह-पूर्व सांसद रणविजय सिंह जूदेव, महारानी अमृता सिंह जूदेव, युवराज यश प्रताप जूदेव और राजकुमार आर्य प्रताप जूदेव ने गहरी संवेदनाएं प्रकट कीं। सभी ने रूपी सोरेन को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

सांसद-विधायकों ने रूपी सोरेन को दी श्रद्धांजलि

सीएम से सांसद विजय हांसदा, सांसद नलिन सोरेन, विधायक सरयू राय, विधायक अनंत प्रताप देव एवं विधायक अमित महतो ने मुलाकात की। सभी ने सीएम की मां को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री की मां का दशकर्म आज, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

गोला, निज प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिवंगत माता रूपी सोरेन का दशकर्म शनिवार को उनके पैतृक गांव नेमरा में होगा। इसके अगले दिन रविवार को ब्रह्मभोज का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यभर से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।

दशकर्म कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए 13 आईपीएस और 40 से अधिक डीएसपी स्तर के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में दो हजार से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। कई जिलों से पुलिस बल बुलाया गया है। गोला डीवीसी चौक से नेमरा तक करीब 30 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारी-कर्मचारी भी दिन-रात तैयारियों में जुटे हैं। भीड़ प्रबंधन और लोगों की आवाजाही सुचारू रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं, लुकैयाटांड़ में बड़े वाहन रोक दिए जाएंगे और यहां से नेमरा मोड़ तक जाने के लिए 340 ऑटो की व्यवस्था की गई है। जबकि 16 एंबुलेंस भी तैनात रहेंगी।

13 आईपीएस व 40 से अधिक डीएसपी स्तर के अफसरों की प्रतिनियुक्ति की गई है

30 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा के इंतजाम किए गए

बाबा के संघर्ष में मां उनकी ताकत थीं : हेमंत

रांची। सीएम ने नेमरा में टहलते हुए अपनी तस्वीर एक्स पर पोस्ट की। मां और पिता को याद करते हुए लिखा- गांव की इन्हीं पगडंडियों, खेतों और जल-जंगल के बीच बाबा ने संघर्ष की शुरुआत की थी। उस कठिन सफर में मां हर कदम पर उनकी हमसफर बनकर साथ चलीं। बाबा ने जब-जब संघर्ष की राह चुनी, मां ने हर मुश्किल में उनका हाथ थामे रखा।

पूर्व जैक पार्षद ने सीएम को गीता भेंट की

रांची। पूर्व जैक पार्षद एवं नारी शक्ति सेना की अध्यक्ष रानी कुमारी ने शुक्रवार को रामगढ़ के नेमरा में सीएम हेमंत की मां रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सीएम से भेंट की और उन्हें श्रीमद्भगवद्गीता भेंट कर भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और सनातन मूल्यों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की।

'राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट'

रांची। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मंत्री रील बनाने में मस्त हैं, मरीज इलाज के लिए त्रस्त हैं और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पस्त है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। स्वास्थ्य मंत्री बताएं कि कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार को केवल घोषणाओं और आश्वासनों तक सीमित रहने के बजाय जमीनी स्तर पर व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।

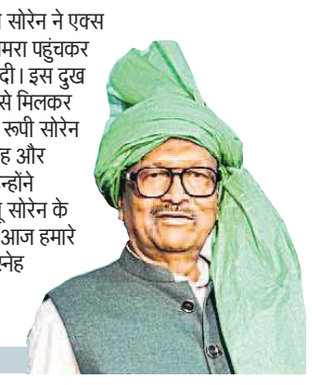
स्थायीकरण मामले में अंतरिम राहत

रांची। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट (दुमका व साहिबगंज डिवीजन) के ड्राइवर संविदा कर्मियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रार्थी जहां कार्यरत हैं, वहीं काम करते रहें और उन्हें मासिक मानदेय मिलता रहे। चंद्रशेखर भंडारी व अन्य द्वारा याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि वे 10 साल से अधिक समय से सेवा दे रहे हैं लेकिन नियमित नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर तय की है।

सोशल मीडिया से

दुमका के सांसद नलीन सोरेन ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा- नेमरा पहुंचकर स्वर्गीय रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि दी। इस दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। रूपी सोरेन का संपूर्ण जीवन त्याग, ममता, स्नेह और समर्पण की अद्भुत मिसाल रहा। उन्होंने जीवनभर दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन के संघर्षों में साथ निभाया। वे भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके त्याग, स्नेह और योगदान की स्मृतियां सदैव लोगों के हृदय में जीवित रहेंगी।



अनिता व भोली रांची के राजद जिला प्रभारी बने

रांची। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश कमेटी की ओर से शुक्रवार को जिला प्रभारियों का मनोनयन किया गया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव की ओर से जारी सूची में अनिता यादव, भोली प्रसाद साहू को रांची, सुखदेव विद्रोही व तारापदो धीवर को बोकारो, प्रणय कुमार बबलू, राम यादव को धनबाद, गिरधारी गोप व भोली प्रसाद साहू को पूर्वी सिंहभूम, राजेश यादव को पश्चिमी सिंहभूम, रंजन कुमार को खूंटी का प्रभारी बनाया गया है।

राज्यपाल पद भाजपा का प्रचार मंच नहीं : विजय

रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल ब्रज मोहन राम के कथित बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनके अनुसार उन्होंने ओडिशा जाकर भाजपा एससी मोर्चा को मजबूत करने, दलित समुदाय से भाजपा के पक्ष में वोट दिलाने की चिंता करने की बात कही है। नायक ने कहा कि यदि राज्यपाल द्वारा वास्तव में ऐसा बयान दिया गया है, तो यह संवैधानिक पद की निष्पक्षता और मर्यादा से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। राज्यपाल किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं होते।

अध्यक्ष पर करें कार्रवाई: मसूद

रांची। झारखंड युवा मंच की शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें सभी प्रखंडों में मंच के गठन का निर्णय लिया गया। मौके पर अध्यक्ष मसूद आलम ने राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर के बयान की निंदा की है। मसूद ने कहा कि अगर पाकिस्तान से खतरा नहीं होता तो रक्षा बजट इतना अधिक नहीं होता। एक और देश सुरक्षा चुनौतियां का सामना कर रहा है वहीं ऐसे बयान भी दिए जा रहे हैं। पीएम व गृह मंत्री कार्रवाई करें।

हिन्दुस्तान भरोसा नए हिन्दुस्तान का



बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
ROSARB राँची
तृतीय तल, एल एम स्क्वायर, सुजाता चौक, मेन रोड, राँची - 834001, झारखंड | मो. नंबर 7542032124

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए विक्रय सूचना, परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 संगठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम- 8(6) के अंतर्गत अचल संपत्तियों के विक्रय का ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद् द्वारा जन साधारण को सामान्यतः एवं ऋणी(यों), बंधककर्ता(ओं) तथा जमानतदारों को विशेष तौर पर सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित बंधक / प्रभारित अचल संपत्ति प्रतिभूत ऋणदाता के कब्जे में है, जिसका **"जहाँ है, जैसी है, जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नवर्णित बकाया राशि की वसूली के लिए विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। ऋणकर्ताओं / बंधककर्ता / जमानतदार / सुरक्षित संपत्ति / बकाया राशि / आरक्षित मूल्य / ई-नीलामी तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण निम्नवर्णित है :

क्र. सं.	ऋणी/ बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण, जिसमें ज्ञात अदिभार (यदि कोई हो) भी शामिल है	कुल बकाया राशि/ ई-नीलामी की तिथि/ ई-नीलामी का समय	आरक्षित मुस्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (रचनाफ्मक/भौतिक) / सम्पत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय
01	**मारुति एंटरप्राइजेज** प्रोप-गब्बू लाल जायसवाल, सुरजोतरण अपार्टमेंट 4C LIC बिल्डिंग के पास, स्टेशन रोड, जमशेदपुर, झारखंड - 831006 **श्रीमती चंदा देवी जायसवाल,** पति श्री गब्बूलाल जायसवाल, सुरजोतरण अपार्टमेंट 4C LIC बिल्डिंग के पास, स्टेशन रोड, जमशेदपुर, झारखंड - 831006 **श्री गब्बूलाल जायसवाल** प्रथम लोकनाथ कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट, LIC बिल्डिंग, स्टेशन रोड, जुगसलाई, जमशेदपुर 831006	श्री गब्बू लाल जायसवाल एवं श्रीमती चंदा देवी जायसवाल के नाम से धारित फ्लैट, **विक्रय विलेख संख्या 1547, दिनांक 22.02.2005** के अंतर्गत स्थित फ्लैट संख्या 4C, चौथी मंजिल, लोकनाथ कंस्ट्रक्शन, सूरज टॉवरम प्रथमा, फेज-1, प्लॉट संख्या 1488, नया खाता संख्या 413/266/1, थाना संख्या 1161, वार्ड संख्या 4, मौजा जुगसलाई, नगर जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। उक्त फ्लैट का सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल 994 वर्ग फुट है। **सीमाएँ है: उत्तर:** ए. के. मजूमदार का फ्लैट, **दक्षिण:** ए. के. घोष का फ्लैट, **पूर्व:** बिदिश अपार्टमेंट, **पश्चिम:** चौड़ी सड़क।	**₹ 1,91,64,037.57/-** 07.08.2019 तक तथा बिना लागू ब्याज एवं शुल्क **07.11.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक**	रु. 28,18,000/- रु. 2,81,800/- रु. 10,000/-	सांकेतिक कब्जा **02.11.2026 से 06.11.2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक**

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक **https://www.bankofbaroda.in/e-auction** एवं ऑनलाइन ऑक्शन पोर्टल **https://baanknet.com** देखें।
इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से मोबाइल नंबर **7542032124** पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थान : राँची
दिनांक: 16.10.2026
विवाद/ त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।
ह०/ मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking | सिंडिकेट Syndicate
वसूली, विधिक व धोखाधड़ी निवारण अनुभाग
क्षेत्रीय कार्यालय, तीसरा तल्ला, टी के कॉर्पोरेट टावर, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम – 831001

अनुबंध - 2ए

मांग सूचना [धारा 13(2)] ऋणी / जमानतदार / बंधककर्ता के लिए

सेवा में,
1. **श्रीमती ज़िसु परवीन (उधारकर्ता एवं बंधककर्ता)** पत्नी मिन्हाज हसन सिद्दीकी, होल्डिंग संख्या 318, बी-ब्लॉक, टोईलाडुंगरी, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड – 831003
2. **श्री मिन्हाज हसन सिद्दीकी (सह-उधारकर्ता)** पुत्र नसीम हसन सिद्दीकी, 318, बी-ब्लॉक, टोईलाडुंगरी, पोस्ट-गोलमुरी, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड – 831003

प्रिय महोदय / महोदया,
विषय: वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना
यह कि **श्रीमती ज़िसु परवीन (उधारकर्ता एवं बंधककर्ता) एवं श्री मिन्हाज हसन सिद्दीकी (सह-उधारकर्ता)** ने समय-समय पर हमारी **टेल्को कॉलोनी शाखा** से निम्नलिखित ऋण/क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की हैं:

ऋण संख्या	ऋण की प्रकृति / सीमा	ऋण की राशि	आज की तिथि के अनुसार देयता	ब्याज की दर
1970619002025	Housing Finance	**रु. 20,00,000.00**	**रु. 24,59,530.26**	10.20%

उपर्युक्त ऋण/ऋण सुविधाएं आपके द्वारा हमारे पक्ष में निष्पादित प्रासंगिक दस्तावेजों के आधार पर, नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विशेष रूप से वर्णित संपत्तियों के बंधक के माध्यम से विधिवत रूप से सुरक्षित हैं। चूंकि आप निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे थे, इसलिए बैंक ने दिनांक 15.10.2026 को ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया है। इसलिए, हम आपको अधिनियम की धारा 13(2) के तहत यह नोटिस जारी करते हैं, जिसमें आपसे **रु. 24,59,530.26 (रुपये चौबीस लाख उनसठ हजार पांच सौ तीस एवं पैसे छब्बीस मात्र)** देय ब्याज एवं खर्चों के साथ इस नोटिस के 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया है ऐसा नहीं करने पर सरफेशी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत बैंक द्वारा कारवाई की जायेगी।
इसके अलावा, आपको हमारी पूर्व सहमति के बिना किसी भी तरीके से अनुसूची में उल्लेखित किसी भी सुरक्षित संपत्ति के किसी भी लेन-देन से रोका जाता है। यह विषय अधिनियम और/या लागू किसी अन्य कानून के तहत हमें उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।
सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों पर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।
शाखा रिकॉर्ड में आपका अंतिम ज्ञात उपलब्ध पता पर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी डिमांड नोटिस भेजा गया था।

अनुसूची

'राज महल' ब्लॉक-III के नाम से जानी जाने वाली इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर जे/210, इसका सुपर बिल्ट-अप एरिया 1165 वर्गफुट है, जिसमें 3 बेडरूम, 1 ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, 1 किचन, 2 बाथरूम शौचालय सहित, 1 बालकनी और 4 पहिया वाहन के लिए एक पार्किंग स्पेस (7x13) शामिल है। इसके साथ ही, प्लॉट नंबर 526, खाता नंबर 426 में दर्ज, मौजा-पारडीह, थाना-मानगो, थाना नंबर 1641, वार्ड नंबर 9, एम.एन.ए.सी. के अंतर्गत पर 180 वर्गफुट का आनुपातिक भूमि हिस्सा भी शामिल है। यह संपत्ति जमशेदपुर अंचल और शहर, जिला – पूर्वी सिंहभूम, राज्य – झारखंड में स्थित है, जो जिला उप-पंजीयक कार्यालय जमशेदपुर के अधिकार क्षेत्र में आती है। **इस फ्लैट की चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तर** – फ्लैट नंबर के/211, **दक्षिण** – फ्लैट नंबर आई/209, **पूर्व** – निज स्वयं का हिस्सा, **पश्चिम** – रास्ता.
CERSAI ID: 400017724437.

दिनांक : 16.10.2026
स्थान : जमशेदपुर
नोट: त्रुटि / विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।
ह०/- प्राधिकृत अधिकारी
केनरा बैंक